भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 144

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

होमस्टे सुविधाओं को प्रोत्साहन

144. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होमस्टे सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) क्या होमस्टे इकाइयों को किसी प्रकार से अर्थात सस्ता, मध्यम वर्ग या प्रीमियम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विशेषकर पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में होमस्टे मालिकों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण या बुनियादी ढांचे हेतु कोई विशेष योजना चलाई जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी सुविधाओं को अपलोड करने हेतु, बुकिंग सुविधाओं और पर्यटकों के प्राप्त अनुभव संबंधी जानकारी में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु, देश भर में होमस्टे को एकीकृत करने हेतु एक 'राष्ट्रीय होमस्टे पोर्टल' विकसित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जी, हाँ। पर्यटन मंत्रालय, अतुल्य भारत बेड और ब्रेकफ़ास्ट प्रतिष्ठानों के वर्गीकरण की अपनी स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत, उत्तराखंड राज्य में स्थित होमस्टे सुविधाओं सहित, देश भर में पूरी तरह से प्रचालित होमस्टे के कमरों को वर्गीकृत करता है। मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर होमस्टे को दो श्रेणियों यथा स्वर्ण श्रेणी और रजत श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग): जी, हाँ। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 की बजट उद्घोषणा में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण के रूप में संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण की घोषणा की है, ताकि देश भर में होमस्टे की स्थापना को सहायता और प्रोत्साहन दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंज़ूरी दी है और 1000 होमस्टे का विकास इस योजना का एक भाग है। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित पात्रता के अध्यधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 5-6 गाँवों के समूह में प्रति गाँव 5-10 होमस्टे के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवा प्रदाताओं और होमस्टे मालिकों सहित आतिथ्य क्षेत्र को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने हेतु "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) नामक योजना लागू की है ताकि देश की अपार पर्यटन क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए पर्यटन उद्योग के प्रत्येक स्तर पर जनशक्ति को उन्नत किया जा सके और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की जा सके।

(घ): पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य अपनी अतुल्य भारत वेबसाइट के माध्यम से देश भर में विविध पर्यटन पेशकशों की डिजिटल पहुंच को बढ़ाना है ताकि इसे वन-स्टॉप डिजिटल सूचना और सेवा मंच में परिवर्तित किया जा सके जो पर्यटकों की आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

उद्योग जगत की निजी कम्पनियों ने विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल या ओटीए शुरू किए हैं जो होमस्टे की बुकिंग सहित अन्य बुकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं।

*****